देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर – 452 001

//स्मरण–पत्र//

क्र.प्रशा./विविध/2023/596 दिनांक : 12 JUL 2023

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक एवं विभाग प्रमुख
   समस्त अध्ययनशालाएं/संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
2. समस्त अधिकारीगण
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विषयः– विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु दिशा–निर्देशों का कियान्वयन करनें संबंधी।

संदर्भः– शासन का पत्र क 878/1511/2020/38–3 भोपाल दिनांक 8/06/2023 एवं कार्यालय का पत्र कमांक प्रशा/विविध/2023/560 दिनांक 22/06/2023

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत चाही गई बिंदुवार जानकारी आज दिनांक तक आपके विभाग से अप्राप्त है, इस संबंध में दूरभाष पर भी कई बार सूचित किया गया है।

उपरोक्त जानकारी यथाशीघ्र प्रशासन विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि जानकारी संकलित कर शासन को समय–सीमा मे प्रेषित की जा सके।

Bhatne

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 8 /06/2023

क्रमांक 878 /1511/2020/38-3

प्रति,

कुलसचिव (समस्त)
शासकीय विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश ।

विषय- विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करने के संबंध में ।

---0---

विषयांतर्गत म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अंतर्गत 08 एवं पृथक-पृथक अधिनियम अंतर्गत 08, इस प्रकार कुल 16 शासकीय विश्वविद्यालय विभाग अंतर्गत संचालित है। विश्वविद्यालय एक स्वशासी संस्था है, जिसका संचालन अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के प्रावधान अनुसार किया जाता है। म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-15 (1) अनुसार कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासकीय एवं अकादमिक अधिकारी हैं। अधिनियम, 1973 की धारा-16(1), परिनियम-3 अनुसार कुलसचिव एवं परिनियम-20 के प्रावधान अनुसार परीक्षा नियंत्रक तथा वित्त नियंत्रक द्वारा कर्तव्य निर्वहन किया जाता है। इसी प्रकार पृथक-पृथक अधिनियम अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा कर्तव्य निर्वहन किया जाना प्रावधानित है।

शासकीय विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुदृढ़ता, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं पारदर्शिता स्थापित किए जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किया जाता है-

1. शासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन किया जाए । विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संकायवार/विषयवार प्राध्यापकों, अध्ययनरत विद्यार्थियों (शोध छात्रों सहित) की विषयवार संख्या, वर्ष 2023-24 से शुरू किए जाने वाले स्वरोजगार से संबंधित पाठ्यक्रम की जानकारी, प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकवार आवंटित शोध छात्रों की कुल सीट/ रिक्त सीट की जानकारी अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर अपडेट की जाए ।

I.T Centre

2. विभागीय कार्यवाही विवरण क्रमांक 1536/1511/2020/38-3 दिनांक 29.12.2022 द्वारा विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्राध्यापक / सह-प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापकों को शोध निदेशक बनाने, वर्ष में दो बार शोध पंजीयन हेतु परीक्षा आयोजित किए जाने एवं शोध हेतु कोर्स वर्क को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन (Hybrid) मोड में संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए है।

समस्त अध्ययनशाला विभाग

निरंतर.....2

इसी अनुक्रम में विभागीय पत्र क्रमांक 560/1139381/2023/38-3 दिनांक12.04.2023 द्वारा उक्ताशय के निर्देश जारी किए गए है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023-24 से जारी निर्देश अनुसार शोध हेतु कोर्स वर्क (ऑनलाईन / ऑफलाईन Hybrid Mode) में अनिवार्यतः कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

3. विभागीय अकादमिक कलेण्डर अनुसार सत्र 2023-24 से विद्यार्थियों का प्रवेश, प्रवेशित छात्रों की कक्षाओं का संचालन, निर्धारित समय पर परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा परिणाम का समय-सीमा में घोषित किया जाना अनिवार्य है। शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालयों में पदस्थ शैक्षणिक स्टाफ / अधिकारी / अन्य स्टाफ की बायोमेट्रिक उपस्थिति (आगमन एवं प्रस्थान के समय) सुनिश्चित की जाए । राज्य शासन द्वारा समय-समय पर चाहे जाने पर उक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

4. विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम एवं निर्धारित सीट अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी कार्यवाही (प्रवेश प्रक्रिया) ऑनलाईन की जाए । अकादमिक कलेण्डर अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए । विश्वविद्यालयों को Common University Entrance Test (CUET/MPOnline Porterl) के माध्यम से एडमिशन लिया जाए। प्रवेशित छात्रों का विषयवार Database विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर अनिवार्यतः अपलोड किया जाए । इसी अनुक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन की कार्यवाही भी समय-सीमा में ऑनलाईन की जाए ।

5. विद्यार्थियों की अंकसूची, डिग्री आदि अनिवार्यतः Dizilocker में (परीक्षा परिणाम जारी होने के 7 दिवस के भीतर) अपलोड किए जाए । विगत 03 वर्षो का समस्त Data एवं दस्तावेज अनिवार्यतः आगामी 01 माह में Dizilocker में अपलोड कर राज्य शासन को अवगत कराया जाए । विगत वर्षो के शेष अभिलेख चरणवद्ध तरीके से 06 माह के भीतर Dizilocker में अपलोड किए जाए। UG/PG के समस्त परीक्षा परिणामों की TR Sheet की एक प्रति Dizitally संधारित की जाए ।

6. शासकीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक रिक्त पदों की पूर्ति करने के संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए है परंतु अभी भी अनेक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पद रिक्त है। अतः शैक्षणिक रिक्त पदों की पूर्ति आगामी 03 माह में सुनिश्चित की जाए । कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही करते हुए मासिक प्रतिवेदन से राज्य शासन को अवगत कराया जाए ।

7. शासकीय विश्वविद्यालयों में कृषि/उदयानिकी/रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए है। विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम शुरू किया जाए तथा 01 माह के भीतर पालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाए ।

निरंतर 3

8. विश्वविद्यालय के खेल केलेंडर, सांस्कृतिक केलेंडर के अनुसार गतिविधियों का आयोजन, आडिट आपत्तियों का निराकरण और न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण की भी सतत् समीक्षा की जाय।

9. प्रत्येक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों एवं अशासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण (लॉटरी के आधार पर न्यूनतम 04 महाविद्यालय प्रतिमाह) हेतु निम्नानुसार गठित समिति द्वारा कराया जाए ।

9.1 कुलपति द्वारा नामांकित प्रतिनिधि ।

9.2 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (संबंधित संभाग) म0प्र0 ।

9.3 कुलसचिव, शासकीय विश्वविद्यालय (संबंधित संभाग/ जिला) म0प्र0 ।

गठित समिति द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्रतिमाह राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाए।

10. प्रवेश, नामांकन, शोध हेतु कोर्स वर्क का आयोजन (Hybrid Mode ऑनलाईन/ ऑफलाईन), परीक्षा, परीक्षा परिणाम, लोक लेखा समिति में लंबित प्रकरण का निराकरण, वित्तीय संहिता के अनुरूप वित्तीय मामलों का क्रियान्वयन, आश्वासन के उत्तरों का प्रेषण, विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण/ भुगतान, पेंशन का समय-सीमा में निराकरण, सी0एम0 हेल्पलाईन में दर्ज प्रकरणों का प्रत्येक स्तर पर निराकरण एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त अन्य शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए ।

11. विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा और पूरक परीक्षाओं का आयोजन तथा उनके परीक्षा परिणामों का समय सीमा में जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है, इसमें कोई चूक क्षम्य नहीं होगी। अतः शैक्षणिक केलेंडर का पालन करते हुए परीक्षा परिणाम समय सीमा में जारी किए जाने की सतत् समीक्षा की जाय और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

12. सी.एम. हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों एवं छात्रवृत्ति संबंधी आवेदनों का भी तत्परतापूर्वक निराकरण किया जाना अनिवार्य है।

13. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-15 (1) के अनुसार कुलपति विश्वविद्यालय का प्रशासनिक एवं अकादमिक मुख्य अधिकारी होने के कारण उक्त सभी बिन्दुओं पर क्रियान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा कुलपति स्तर से की जाय।

14. उक्त दिशा निर्देशों के साथ साथ पूर्व में जारी निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

निरंतर 4

15. उक्त प्रकरणों पर समय सीमा में कार्यवाही/निराकरण नहीं किए जाने पर कुल सचिव, वित्तनियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और कुलपति के विरूद्ध मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

(के.सी.गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
म0प्र0शासन , उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 8 /06/2023

पृष्ठां. क्रमांक 679/1511/2020/38-3
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मान0 कुलाधिपति (मान0 राज्यपाल महो0) राजभवन, भोपाल ।
2. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, भोपाल ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुडा भवन, भोपाल ।
4. संचालक, जनसम्पर्क विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलपति (समस्त) विश्वविद्यालय म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु।
6. वित्त नियंत्रक / परीक्षा नियंत्रक (समस्त) विश्वविद्यालय म0प्र0 ।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग